[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

**2021 का विधेयक संख्यांक 6**

[दि नेशनल कैपिटल टैरीटरी आफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रोविजन्स) सेकैंड (अमैंडमैंट) बिल, 2021 का हिंदी अनुवाद]

# दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021

**दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए**

**विधेयक**

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह 29 दिसम्बर, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

वृहत् शीर्ष का संशोधन ।

**2.** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् शीर्ष में, 2011 का 20 "31 दिसंबर, 2020 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2023 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देशिका का संशोधन ।

**3.** मूल अधिनियम की उद्देशिका में,—

(क) चौथे पैरा से आठवें पैरा तक के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"और वर्ष 2041 के परिदृश्य में दिल्ली मास्टर प्लान की विरचना के लिए कार्य प्रगति पर है ;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019 एक बारगी उपाय के रूप में 2019 का 45 अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के स्वामित्व अधिकार प्रदत्त करने या अंतरण या बंधक द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था ;

और दिल्ली में अप्राधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के लिए 24 मार्च, 2008 को अधिसूचित विनियमों का अधिक्रमण करते हुए तारीख 29 अक्तूबर, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिकार प्रदत्त करने, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया गया था ;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 में यथा उपबंधित अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदत्त करने की प्रक्रिया तथा अप्राधिकृत कालोनियों के लिए विकास नियंत्रण संनियम को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है और इसमें समय लगेगा ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण के संबंध में तय की गई नीति के आधार पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, की धारा 57 की उपधारा (1) के 1957 का 61 अधीन भारत के राजपत्र में का.आ. 97(अ), तारीख 17 जनवरी, 2011 द्वारा अधिसूचित विशेष क्षेत्र, अप्राधिकृत नियमित कालोनियों और ग्रामीण आबादियों के लिए भवन निर्माण विनियम बनाए गए हैं ;

और अप्राधिकृत कालोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण तथा विशेष क्षेत्रों के लिए परिकल्पित कार्रवाई को पूरा करने के लिए और समय अपेक्षित है ;";

(ख) ग्यारहवें पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"और फार्म हाऊसों के संबंध में पुनरीक्षित नीति दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है और उसको अंतिम रूप से तय करने में कुछ और समय लगने की संभावना है ;";

(ग) बारहवें पैरा में "दिल्ली मास्टर प्लान-2021" शब्दों और अंकों के

स्थान पर, "मास्टर प्लान" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) तेरहवें पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"और केंद्रीय सरकार द्वारा 21 जून, 2018 को गैर-अनुरूप क्षेत्रों में विद्यमान गोदाम समूहों के मानकों के संबंध में नीति अधिसूचित की गई है ;";

(ङ) 21वें पैरा में,—

(i) "दिल्ली मास्टर प्लान-2021" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "मास्टर प्लान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 1 का संशोधन ।

**4.** मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के आरंभिक भाग में, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2023 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

**5.** मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

1957 का 61

'(ङ) "मास्टर प्लान" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन यथा अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान अभिप्रेत है ;'।

धारा 3 का संशोधन ।

**6.** मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "दिल्ली मास्टर प्लान 2021" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "मास्टर प्लान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) निम्नलिखित अंतिम तारीखों के अनुसार :—

(i) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 में यथा उपबंधित अप्राधिकृत कालोनियों के लिए ;

2019 का 45

(ii) 31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी है) और उनके विस्तार तथा जहां संनिर्माण कार्य उस तारीख से परे और 1 जून, 2014 तक किया गया है,

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 और ग्रामीण आबादी क्षेत्र विनियम (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी है) और उनके विस्तारण के

2019 का 45

विनियमों के उपबंधों के अनुसार क्रमबद्ध व्यवस्था ;";

(ख) उपधारा (2) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 के अधीन पहचानी गई अप्राधिकृत कालोनियों की बाबत में, ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी है) और उनके विस्तारण, जो 31 मार्च, 2002 को विद्यमान थे, और उपधारा (1) में यथावर्णित पूर्वोक्त प्रवर्गों में जहां संनिर्माण कार्य 1 जून, 2014 तक हुआ है ;";

(ग) उपधारा (3) में, "31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) में, "31 दिसंबर, 2020 के पूर्व किसी भी समय" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2023 के पूर्व किसी भी समय" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

**7.** (1) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 निरसित किया जाता है ।

2020 का अध्यादेश सं० 15

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

विगत अनेक वर्षों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का असाधारण विस्तार हो रहा है जिससे उसकी अवसंरचना और उसके संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ वास सुविधा, वाणिज्यिक स्थान और अन्य नागरिक सुविधाओं की मांग में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है । इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण, गन्दी बस्तियों की वृद्धि, अनाधिकृत सन्निर्माणों, आवासीय क्षेत्रों के वाणिज्यिक प्रयोग, वास सुविधाओं के स्टॉक की अपर्याप्तता, आदि की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं ।

2. दिल्ली में अनाधिकृत विकास के कतिपय प्ररूपों को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षित करने के लिए 19 मई, 2006 को आरंभ के एक वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया था; तत्पश्चात् दिल्ली में अनाधिकृत विकासों के भिन्न-भिन्न प्ररूपों के इस संरक्षण को समय-समय पर अध्यादेशों और अधिनियमित अधिनियमों के माध्यम से जारी रखा गया था ।

3. वर्ष 2011 में एक विस्तृत विधान अर्थात् दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया गया था, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक विधिमान्य था । इस अधिनियम की विधिमान्यता को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा 31 दिसम्बर, 2020 तक और विस्तारित किया गया था । ऐसा करते समय, 2011 के अधिनियम में पथ विक्रेताओं से संबंधित उपबंधों का लोप कर दिया गया था क्योंकि इस प्रवर्ग के लिए पथ-विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 में पर्याप्त उपबंध किए गए थे ।

4. 2011 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गन्दी बस्तियों के निवासियों और झुग्गी-झोपड़ी समूहों, अप्राधिकृत कालोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारणों, ऐसे फार्म हाउसों जिसमें अनुज्ञेय भवन निर्माण सीमाओं से परे सन्निर्माण अन्तर्वलित है, कृषि भूमि पर निर्मित विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, भंडारों, भांडागारों और गोदामों के पुनःस्थापन और पुर्नवास के लिए, विद्यमान गोदाम समूहों, विशेष क्षेत्रों के पुनः विकास तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य सभी क्षेत्रों के मास्टर प्लान के पुनर्विलोकन पर उसके अनुरूप क्रमबद्ध व्यवस्था के लिए नीति या योजना हेतु क्रमबद्ध व्यवस्थाएं की जानी थीं ।

5. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदत्त करने के लिए 29 अक्तूबर, 2019 को भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया गया था । दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र अप्राधिकृत कालोनियों में के निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता अधिनियमित किया गया था । 21 जून, 2018 को भारत के राजपत्र में गोदाम समूहों के लिए विनियम अधिसूचित किए गए थे जो कार्यान्वयन के अधीन हैं अधिनियम के 2011 में इन विकासों को दिल्ली मास्टर प्लान-2041 की तैयारी के

तथ्य के साथ समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के अधीन यथा अधिसूचित दिल्ली के लिए मास्टर प्लान को सम्मिलित करने के लिए मास्टर प्लान की परिभाषा को भी उपांतरित किया गया है । दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010, जो झुग्गी, झोंपड़ी समूहों के बारे में है, को जहां तक इसका इन समूहों की विद्यमानता की तारीख से संबंध है, 2011 के अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन प्रक्रिया के अधीन है । इसी प्रकार फार्म हाउसों, विशेष क्षेत्रों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के अन्य सभी क्षेत्रों के लिए परिकल्पित कार्रवाई विचाराधीन है और उसे पूरा करने में कुछ और समय लगेगा ।

6. 2011 का अधिनियम, 31 दिसम्बर, 2020 तक विद्यमान था और जहां पर्याप्त उपाय अभी किए जाने हैं वहां उन अप्राधिकृत गतिविधियों के संरक्षण को बनाए रखना आवश्यक था । चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और इस संबंध में तुरन्त विधान बनाने की आवश्यकता थी इसलिए राष्ट्रपति द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 2020 को संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 15) प्रख्यापित किया गया था ।

7. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 15) के प्रतिस्थापित करने के लिए है, 2011 के अधिनियम की विधिमान्यता को 1 जनवरी, 2021 से तीन वर्ष के लिए 31 दिसम्बर, 2023 तक विस्तारित करने के बारे में उपबंधित है ।

8. विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

**नई दिल्ली ;**
**1 फरवरी, 2021**

**हरदीप सिंह पुरी**

उपाबंध

## दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 20)

## से उद्धरण

**दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम**

* * * * * *

और केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्राधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण के विनियमन के संबंध में तय की गई नीति के आधार पर इस प्रयोजन के लिए दिशानिर्देश और विनियम जारी किए गए हैं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा, अप्राधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण के नियमितीकरण के संबंध में तय की गई नीति के आधार पर विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कॉलोनियों तथा ग्रामीण आबादियों के लिए दिल्ली प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में का॰आ॰ 97(अ), तारीख 17 जनवरी, 2011 द्वारा अधिसूचित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन भवन संबंधी विनियम बनाए थे;

1957 का 61

और इन दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुसरण में अप्राधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ, अभिन्यास योजनाओं की संवीक्षा, 31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान निर्माण प्रतिशत का निर्धारण, पथों के मिश्रित उपयोग की पहचान, अभिन्यास योजनाओं का अनुमोदन, सीमाओं का नियतन, भूमि उपयोग में परिवर्तन और नियमितीकरण के लिए अपात्र कॉलोनियों की पहचान करना सम्मिलित है;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार ने एक सौ चालीस पुनःप्रारूपित अभिन्यास योजनाएं प्राप्त की हैं और वह इन अभिन्यास योजनाओं की सीमा नियत करने की प्रक्रिया कर रही है और पुनःप्रारूपण या अभिन्यास योजनाओं को अंतिम रूप देने की संपूर्ण प्रक्रिया में सभी अप्राधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने में काफी समय लगने की संभावना है;

और अप्राधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों और उनके विस्तारण तथा विशेष क्षेत्रों के नियमितीकरण के लिए और अधिक समय अपेक्षित है ;

* * * * * *

और फार्म हाऊसों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारूप नीति तैयार की जा रही है और उसको अंतिम रूप देने में लगभग दो वर्ष का समय लगने की संभावना है;

और दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसरण में, विभिन्न जोनों के संबंध में जोनल विकास योजनाओं को अधिसूचित कर दिया गया है, जो 1 जनवरी, 2006 को या उससे पूर्व गैर-अनुरूप क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं

और सांस्कृतिक संस्थाओं के नियमितीकरण के लिए उपबंध करती है;

* * * * * *

और यह समीचीन है कि ऊपर निर्दिष्ट नीतियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की बाबत किसी अभिकरण द्वारा किसी दांडिक कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनता को राहत देने और अपरिहार्य कठिनाइयों तथा अपूर्णनीय हानि को कम करने का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम को 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि के लिए जारी रखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के निबंधनों के अनुरूप कोई विधि हो;

* * * * *

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अवधि ।

**1.** (1) * * * *

(4) यह अधिनियम 31 दिसंबर, 2017 को, प्रवर्तन में नहीं रहेगा, जो ऐसे प्रवृत्त न रहने के पूर्व की गई हों या जिनका किए जाने का लोप किया गया हो, और ऐसे प्रवृत्त न रहने पर साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 इस प्रकार लागू होगी, मानो यह अधिनियम, केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो । 1897 का 10

परिभाषाएं ।

**2.** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(ङ) "मास्टर प्लान" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचना सं०का०आ० 141(अ), तारीख 7 फरवरी, 2007 के अधीन अधिसूचित वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य के साथ दिल्ली मास्टर प्लान अभिप्रेत है; 1957 का 61

* * * * *

प्रवर्तन का प्रास्थगित रखा जाना ।

**3.** (1) किसी सुसंगत विधि या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम की समाप्ति से पूर्व गंदी बस्ती के निवासियों और झुग्गी-झोंपड़ी क्लस्टरों के निवासियों, फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं, अप्राधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उसके विस्तार, विद्यमान फार्म हाऊसों, जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं से परे निर्माण में लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उत्पादों (डेयरी और कुक्कुट सहित) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों द्वारा अधिक्रमण या अधिक्रमण के रूप में अप्राधिकृत विकास की समस्या से निपटने के लिए मानकों, नीतिगत दिशानिर्देशों और साध्य रणनीतियों को, जो नीचे वर्णित हैं, अंतिम रूप देने के लिए सभी संभव उपाय करेगी:—

(क) पोषणीय, योजनाबद्ध और मानवोचित रीति में दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली शहरी आश्रयस्थल सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 और दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की गंदी बस्तियों के निवासियों और झुग्गी-झोंपड़ी क्लस्टरों के निवासियों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था; 2010 का दिल्ली अधिनियम 7

* * * * *

(ग) 31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान और जहां उस तारीख से पूर्व और 1 जून, 2014 तक निर्माण किया गया है, वहां अप्राधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) के नियमितीकरण और उनके

विस्तारण के लिए दिशानिर्देश और विनियमों के अनुसरण में क्रमबद्ध व्यवस्था;

* * * * *

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए,—

* * * * *

(ii) उपधारा (1) में वर्णित अप्राधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तारण की बाबत, जो 31 मार्च, 2002 को विद्यमान थी, निर्माण कार्य उस तारीख से आगे और 1 जून, 2014 तक हुआ है;

* * * * *

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सभी सूचनाएं निलंबित की गई समझी जाएंगी और 31 दिसम्बर, 2020 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि—

(क) उसका निर्माण उपधारा (2) में यथा प्रगणित विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व किया जाता है

(ख) वह प्रवृत्त सुरक्षा मानकों या ऐसी अन्य सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुरूप है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं; और

(ग) वह केंद्रीय सरकार द्वारा सुरक्षा के संबंध में जारी निदेशों, यदि कोई हों, का अनुपालन करता है:

परंतु यह कि किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित होने की दशा में संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार 31 दिसम्बर, 2020 के पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में वर्णित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत छूट को, अधिसूचना द्वारा, वापस ले सकेगी ।

* * * * *

MGIPMRND—1290RS(CRC)—02-02-2021.